आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
25/2/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 2/2010** **विनीता देवी बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 5957/2013 विनीता देवी बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 24.4 2013 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 216/ज.शि. दिनांक 26.12 2007 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि श्री मकेश्वर रावत, मुखिया, ग्राम पंचायत नरहरपुर, मढ़ौरा प्रखंड द्वारा शिकायत पत्र समर्पित किया गया था कि विक्रेता श्री कृष्ण गोपाल सिंह पंचायत शिक्षक के पद पर दिनांक 10.10.2007 को नवसृजित प्रा0वि0 टारपर मोथहां, नरहरपुर में योगदान किया है, जिसकी जॉच प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, मढ़ौरा से करायी गयी थी, जो सही पाया गया था। इस संबंध में उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भी पुष्टि की गयी है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा ने विकेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी थी। विकेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में पंचायत शिक्षक के पद पर नियुक्ति एवं योगदान देने की बात को स्वीकार किया गया है। विकेता ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा कि विद्यालय के कार्य में व्यस्त होने के	

	कारण इसकी सूचना नहीं दे सका। अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त विक्रेता का स्पष्टीकरण अस्वीकृत करते हुए इनकी दुकान की अनुज्ञप्ति निलम्बित करते हुए पुनः द्वितीय कारणपृच्छा की मॉग की। विक्रेता द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में पुनः पूर्व में दिए गए स्पष्टीकरण में कही गई बातों को दोहराते हुए अनुरोध किया था कि जिस प्रकार निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की जो पूर्व से ज.वि.वि. है कि अनुज्ञप्ति को सिर्फ निलंबित रखने हेतु अनुरोध किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने उल्लिखित किया है कि उन निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को सरकार के द्वारा कोई मानदेय या अन्य किसी प्रकार की भत्ता देय नहीं है, जबकि श्री सिंह को सरकार के द्वारा स्वीकृत मानदेय एवं अन्य सुविधा प्रदत्त है। अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा ने प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, मढ़ौरा के जॉच प्रतिवेदन एवं मुखिया द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र के आधार पर श्री कृष्ण गोपाल सिंह, जन वितरण विक्रेता, ग्राम पंचायत राज नरहरपुर की अनुज्ञप्ति सं0 1/2004 को अनुज्ञा पत्र की शर्तों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दी गयी। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता ने बतलाया कि अनुज्ञप्ति संख्या 1/2004 अपीलार्थी विनिता देवी एवं उनके पति कृष्ण गोपाल सिंह के नाम पर है, जो साझेदार है। अगर एक साझेदार दूकान छोड़ देता है, तो अनुज्ञप्ति रद्द नहीं की जा सकती है। विज्ञ अधिवक्ता ने यह भी बतलाया कि अपीलकर्त्ता द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए अनुज्ञप्ति बहाल करने हेतु अनुरोध किया। सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने बतलाया कि अपीलार्थी विनिता देवी के पति कृष्ण गोपाल सिंह, पंचायत शिक्षक के पद पर नियोजित हैं, जिसके फलस्वरूप विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है, जो अनुज्ञप्ति शर्त्तों व नियमों के आधार पर ही किया गया है, जो सही है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का परिसीलन किया। परिसीलनोपरान्त पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश में कहीं भी यह वर्णित नहीं है कि अनुज्ञप्ति संख्या 1/2004 श्री कृष्ण गोपाल सिंह एवं उनकी पत्नी श्रीमती विनीता देवी के नाम पर है। उक्त अनुज्ञापन श्री कृष्ण गोपाल सिंह के नाम पर ही दिखाया जा रहा था। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह प्रावधानों के आलोक में किया गया है, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश को बहाल रखा जाता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 95/न्यायालय दिनांक 21/3/15
प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा/NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
20/3/15 सारण, छपरा।